

# फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जयपुर जमीन

दाउद अली बनाम अली हसन

संख्या / वर्ष

142 / 20 23

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/3/24	<p>पहावली आज विडो गा. पर पेश होने पर दवे की पहावली के लागू तत्त्व की गरी वकील प्रार्थी स्वयं उपा. वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी के कहने व शवा विडो हो जाने से प्रार्थी का गा. पर 212 RTA का विडो (खारिज) किया जाना है। गा. पर 212 RTA का विडो होने से न्यायालय का पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 12/6/2023 का प्रभावहीन हो गया। पहावली पर वकील शामिल है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	